



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

registrar.dbrau.ac.in@gmail.com



पत्रांक : सम्ब0/1568/2026 दिनांक : 10/06/2026

सेवा में,

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
आगरा क्षेत्र, आगरा।

विषय:- अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित/स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को कौशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/546/2026-27 दिनांक 08.06.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को कौशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों तथा उनके आश्रितों का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये गूगल लिंक (Portal Link: familyid.up.gov.in/) पर वांछित सूचनाएं निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उक्त से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी एवं प्रक्रिया का विवरण यूट्यूब लिंक (<https://youtu.be/VrSL0SalAvg>) पर भी देखा जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप एवं गूगल लिंक पर समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराये गये पोर्टल/गूगल लिंक पर नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों तथा उनके आश्रितों का विवरण निर्धारित प्रारूप में तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को उपलब्ध करायें।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से अनुमोदित समस्त शिक्षकों का विवरण पोर्टल/गूगल लिंक पर अपलोड करते हुए एवं सचिव/प्राचार्य द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र इस आशय का कि उपलब्ध करायी गयी सूचना पूर्णतः सत्य एवं सही है, आज ही विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आवश्यक सूचना समेकित कर सक्षम स्तर पर प्रेषित की जा सके।
5. गार्ड फाइल।


कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त कुलसचिव,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास/ 546 /2026-27 दिनांक: 08/06/2026

विषय: उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के चिन्हित कर्मचारियों एवं आश्रितों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान किये जाने हेतु लाभार्थियों के विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज) के पत्र दिनांक 04 जून, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-260/सत्तर-3-2026-1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 के क्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि साचीज के पत्र दिनांक 04 जून, 2026 के साथ संलग्न प्रारूप जिसका गूगल लिंक नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.2026 को वाहस्टप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निर्धारित सूचना आज ही अपराह्न 01:00 बजे तक इस कार्यालय की ई-मेल आईडी infodheup21@gmail.com पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

डॉ० (शशि कपूर) 8.6.26
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, प्रयागराज।

पृ०सं०: डिग्री विकास/ 546-47 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि:—संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना राज्य विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के उपरान्त संकलित कर अपराह्न 01:00 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सनिश्चित करें।

डॉ० (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०)
/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, प्रयागराज।



स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज)
चतुर्थ तल, नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ



email - uprsby@yahoo.co.in

पत्रांक : ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई / 2026-27 / 408
सेवा में

दिनांक 06 जून, 2026

सचिव

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

विषय : उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के चिन्हित कर्मचारियों एवं आश्रितों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान किये जाने हेतु लाभार्थियों के विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश-260/सत्तर-3-2026-1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में साचीज को कार्यदायी संस्था के रूप में इस योजना को क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शासनादेश में वर्णित लाभार्थी एवं उनके आश्रितों का विवरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा, किन्तु तकनीकी कारण से उक्त पोर्टल को बनने के उपरान्त भी सिक्योरिटी एवं ए0पी0आई0 ऑडिट में अधिक समय लगने की सम्भावना है। आपसे हुई वार्ता के क्रम में उपरोक्त वर्णित लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों को शीघ्रता से इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाना है।

तत्क्रम में उपरोक्त सभी लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों का विवरण संलग्न प्रारूप में (एक्सेल) यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि विभाग द्वारा अनुमोदित एवं अन्तिम रूप से निर्धारित योजना का नाम, लाभार्थी कार्ड का डिजाइन (अग्र व पश्च भाग) जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो, को भी साचीज कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा, योजना का नाम एवं कार्ड के डिजाइन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार, नई दिल्ली को पोर्टल पर इंटीग्रेट करने के लिए प्रेषित किया जायेगा, तत्पश्चात् उक्त लाभार्थी कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

भवदीया,

(सविता)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई / 2026-27 / 408-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

(सविता)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी



स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विस (साचीज)
चतुर्थ तल, नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ



email - uprsby@yahoo.co.in

पत्रांक : ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई / 2026-27 /
सेवा में

दिनांक ०६ जून, 2026

सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय : उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के चिन्हित कर्मचारियों एवं आश्रितों को कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान किये जाने हेतु लाभार्थियों के विवरण एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश-260/सत्तर-3-2026-1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में साचीज को कार्यदायी संस्था के रूप में इस योजना को क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सम्बन्ध में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शासनादेश में वर्णित लाभार्थी एवं उनके आश्रितों का विवरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा, किन्तु तकनीकी कारण से उक्त पोर्टल को बनने के उपरान्त भी सिक्योरिटी एवं ए0पी0आई0 ऑडिट में अधिक समय लगने की सम्भावना है। आपसे हुई वार्ता के क्रम में उपरोक्त वर्णित लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों को शीघ्रता से इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाना है।

तत्क्रम में उपरोक्त सभी लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों का विवरण संलग्न प्रारूप में (एक्सेल) यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि विभाग द्वारा अनुमोदित एवं अन्तिम रूप से निर्धारित योजना का नाम, लाभार्थी कार्ड का डिजाइन (अग्र व पश्च भाग) जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो, को भी साचीज कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपके द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा, योजना का नाम एवं कार्ड के डिजाइन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, भारत सरकार, नई दिल्ली को पोर्टल पर इंटीग्रेट करने के लिए प्रेषित किया जायेगा, तत्पश्चात् उक्त लाभार्थी कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत कार्ड बनवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

भवदीया,

(सविता)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई / 2026-27 / 408-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

(सविता)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी



आयुष्मान कार्ड / AYUSHIMAN CARD

₹ 5 लाख का मुफ्त उपचार



नाम/NAME: Kavita Shukla
 जन्म वर्ष /Y.OB: 2002
 पति/सहोदर/ Village/Town: Kunda
 जिला/ District: PRATAFGARH
 लिंग /GENDER: F
 राज्य: उत्तर प्रदेश
 PIAIDAVDA



ABHA Number : 91-5202-1407-0781

आयुष्मान प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना
AYUSHMAN BHARAT PRADHAN MANTRI JAN AROGYA YOJANA

Card Generated on : Wed Oct 19 13:07:23 IST 2023

स्वास्थ्य का बरदान, आयुष्मान

1. यह आयुष्मान कार्ड आपको और आपके परिवार को सामूहिक रूप से प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगा।
This Ayushman card will help you in availing benefits of free hospitalization cover of Rs. 5 Lakhs per annum to you and your family collectively at any empanelled hospital across India under Ayushman Bharat PM-JAY.
2. आपको AB PM-JAY सुविधाएं अस्थावर से किसी प्रकार का मुद्रागत प्रदायकता प्राप्त है।
You are not required to pay/deposit any money at the AB PM-JAY empanelled hospital across India under Ayushman Bharat PM-JAY.
3. किसी भी प्रकार की मदद के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए अथवा अपने नजदीकी AB PM-JAY सुविधा अस्थावर की जानकारी के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें।
For any help, to report a grievance or to know more about AB PM-JAY empanelled hospitals near you, please reach out to us.

Please download the App / डैप डाउनलोड करें



संपर्क करें / Please contact 14555
or log on to / लॉग ऑन करें
<https://pmjay.gov.in>

| Member Name | Family ID | Member ID | Plan Code | Urban/Non-Urban | Age Group | Gender | Marital Status | Religion | Education | Occupation | Income | Assets | Liabilities | Health Status | Insurance | Other | Remarks |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------|----------------|----------|---------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|-----------|-------|---------|
| Example | 12345 | 67890 | A | Urban | 18-25 | M | Single | Hindu | High School | Student | 10000 | 50000 | 20000 | Good | None | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Non-Urban | 26-35 | F | Married | Muslim | College | Teacher | 15000 | 60000 | 30000 | Fair | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Urban | 36-45 | M | Married | Hindu | Graduate | Engineer | 20000 | 80000 | 40000 | Good | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Non-Urban | 46-55 | F | Married | Muslim | Post-Graduate | Manager | 25000 | 100000 | 50000 | Good | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Urban | 56-65 | M | Married | Hindu | Post-Graduate | Retired | 30000 | 120000 | 60000 | Good | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Non-Urban | 66-75 | F | Married | Muslim | Graduate | Homemaker | 15000 | 60000 | 30000 | Fair | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Urban | 76-85 | M | Married | Hindu | Post-Graduate | Retired | 35000 | 130000 | 65000 | Good | Life | None | None |
| Example | 12345 | 67890 | A | Non-Urban | 86-95 | F | Married | Muslim | Graduate | Retired | 20000 | 80000 | 40000 | Fair | Life | None | None |

